पत्रांक–................................./प्राधि0

बिहार सरकार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

द्वितीय तल, पंत भवन, पटना–800001

प्रेषक,

सचिव,
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ।

सेवा में,

प्रधान सचिव
भवन निर्माण विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–.......................2015

विषयः– भूकंप आपदा के दृष्टिकोण से पंत भवन के उचित रख–रखाव के संबंध में ।

प्रसंग – प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) का भवन निर्माण विभाग को संबोधित पत्रांक **838 दिनांक 12.11.2014, 34 दिनांक 14.01.2015** एवं **132 दिनांक 13.02.2015** (संलग्न)

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रों के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यालय, पंत भवन के द्वितीय तल पर स्थित है। कार्यालय विगत पांच वर्षों से कार्यरत है और इसके कई हिस्से दयनीय स्थिति में है। दिनांक 28.04.2015 को भवन निर्माण विभाग द्वारा पटना नगर निगम के अभियंताओं के लिए भूकंप के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण कार्यालय में आहूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान भवदीया को भी प्राधिकरण कार्यालय एवं पंत भवन की कठिनाईयों के संदर्भ में अवगत कराते हुए क्षतिग्रस्त बेस्मेंट का अवलोकन कराया गया था जिसका कृपया संदर्भ लेना चाहेंगी।

2. प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) के पत्रांक 838 दिनांक 12.11.2014 में "रंगाई, पोताई, मरम्मति, सैनेटरी, सफाई कार्य हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन" की मांग भवन निर्माण विभाग से मांगा गया है । **इसमें प्राधिकरण कार्यालय (द्वितीय तल) को छोड़कर प्राक्कलन मांगा गया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है।**

ज्ञातव्य हो कि प्राधिकरण कार्यालय (द्वितीय तल) के तीन कमरों में निरंतर पानी का रिसाव है जहाँ कार्य करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। यदि इस पत्रांक में प्राधिकरण कार्यालय को छोड़कर प्राक्कलन मांगा गया है परंतु इनकी मरम्मती कभी हुई ही नहीं है।

3. पंत भवन एक 8 मंजिला भवन है जिसमें करीब 8–9 कार्यालय/बैंक/रेस्टॉरेंट है। इस भवन में करीब 400–500 कर्मी कार्यरत होगें परंतु पूरा भवन रख रखाव के आभाव में जर्जर है। दिनांक 25.04.2015 को आये भूकंप के पश्चात तो इस भवन के प्रत्येक तल की उचित मरम्मति नितांत आवश्यक है।

4. प्राधिकरण कार्यालय की क्रमांक– 2 के अनुसार मरम्मति के अतिरिक्त निम्नांकित कार्यो को भी कराना आवश्यक है :–

(i). पंत भवन में वर्त्तमान में एक ही Exit कार्यरत है। दूसरे Exit (प्रत्येक तल) का ग्रिल खराब जिसके चलते आपदा की स्थिति में भवन से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है जो किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

(ii). पंत भवन में दो नये लिफ्ट करीब डेढ़ वर्ष पहले स्थापित (install) किये गये थे जो स्थापना के समय से ही बार–बार खराब हो रहे है जिसकी मरम्मति की कार्रवाई नहीं की जा रही है (प्रशासक का पत्रांक 132 दिनांक 13.02.2015 संलग्न)

(iii). पंत भवन के बेसमेंट में डक्ट (duct) के रास्ते सालों भर पानी गिर कर जमा होता रहता है जो न केवल पिलरों को क्षति पहुँचा रहा है बल्कि सड़ने के पश्चात बीमारी को भी आमंत्रित करता है।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि क्रमांक– 4 में वर्णित कार्यों के आधार पर पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कराने के कार्रवाई का आदेश देना चाहेगीं जिससे आपदा के समय पंत भवन के किसी भी तल (बेसमेंट सहित) में कोई क्षति यथासंभव न हो सके।

अनुलग्नक – यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(नरेश पासवान)

सचिव

प्रतिलिपिः– प्रशासक, बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित) को प्रसंगाधीन पत्रों के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि क्रमांक – 4 के परिप्रेक्ष्य में प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग को संशोधित पत्र भेजने की कृपा की जाय ।

ह0/–

सचिव

ज्ञापांकः– /प्राधि0 पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः– कृषि उत्पाद आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

सचिव

ज्ञापांकः– 55 /प्राधि0 पटना, दिनांकः– 29/4/2015

प्रतिलिपिः– माननीय उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव 29/4/15

BSDMA/G. Kumar /LETTER